



उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

2026:AHC:22307-DB

अपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - **29242/2025**

पवन कुमार मिश्रा

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

..... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : संतोष कुमार तिवारी

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, रमेश कुमार पाण्डेय

न्यायालय संख्या - 45

माननीय राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति

माननीय अचल सचदेव, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 4 एवं 5 के विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश कुमार पाण्डेय को सुना गया तथा रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया।
2. प्रारंभ में ही, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया है कि वे इस याचिका पर दबाव नहीं डालना चाहते हैं और इसे वापस लेना चाहते हैं।
3. विद्वान शासकीय अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 4 एवं 5 के विद्वान अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. उपरोक्त बयान के आलोक में, यह रिट याचिका वापस लिए जाने के आधार पर खारिज की जाती है।

2 फरवरी, 2026

के.यू.

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"